



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004

ईपीबीएक्स 2706677-78, 2702784 फ़ैक्स 0141-2706575

Website : igprgvs.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 4 () भण्डार/आईजीपीआरएस/2015/671

दिनांक: 21-4-15

निविदा सूचना

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रतिष्ठित प्रदायकों, एजेंसियों से निम्नानुसार मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। पूर्ण रूप से भरी मोहर निविदाएँ निम्नानुसार तिथियों को 10.00 बजे संस्थान द्वारा गठित कय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायगी। निविदा की विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट : igprgvs.rajasthan.gov.in & www.spp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा खोलने की तिथि के संशोधन में कय समिति को पूर्ण विवेकाधिकार तथा तिथि संशोधन की सूचना नोटिस बोर्ड पर अंकित कर दी जाएगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अवधि	अनु. वार्षिक राशि (रुपये में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा फार्म विक्रय तिथि एवं समय	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
1.	संस्थान में वाहन किराये पर लेने हेतु	1 वर्ष	15,00,000/-	30,000/-	400/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
2.	स्टेशनरी एवं अन्य सामान कय हेतु	1 वर्ष	3,00,000/-	6,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
3.	बैंग सप्लाई करने हेतु	1 वर्ष	5,00,000/-	10,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
4.	घाटर प्योरी फायर बोटल सप्लाई हेतु	1 वर्ष	3,00,000/-	6,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
5.	फर्नीचर (सोफा व चार्डरोप) सप्लाई करने हेतु		6,00,000/-	12,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक

अतिरिक्त निदेशक



इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004
ईपीएबीएक्स 2706577-78, 2702784 फ़ैक्स 0141-2706575
Website-igprgvs.rajasthan.gov.in

वाहन किराये पर लेने हेतु
खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

निविदा बोली प्रपत्र

2015-16

मूल्य : 400 /- रूपये

अवधि : एक वर्ष

राशि : 15,00,000/-

बोली प्रतिभूति : 30,000/-

निविदा बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तकनीकी निविदा बोली प्रपत्र खोलने की तिथि 07.05.2015 को दोपहर 3.00 बजे निविदा बोली प्रपत्र वित्तीय निविदा खोलने की तिथि 11.05.2015 को दोपहर 2.00 बजे

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

वाहन किराये पर लेने हेतु
खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदादाता को दो अलग अलग सीलबन्द लिफाफों में तकनीकी निविदा व दर निविदा लिखकर प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफे अलग अलग बक्सों में डालने होंगे। तकनीकी निविदा के साथ, रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि का बैंक चैक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ नकद जमा की रसीद तथा पिछले पाँच वर्षों की अवधि में से कम से कम दो वर्ष का स्वायत्तशासी संस्थान/ सरकारी विभाग में वाहन किराये पर देने के संतोषप्रद सेवाएँ देने का प्रमाण पत्र देना होगा तथा फर्म के बैंक खाते के गत एक वर्ष के 5,00,000 रुपये लेन देन का प्रमाण देना होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों का ही दर निविदा का लिफाफा खोला जावेगा।
2. निविदाएँ उन रजिस्टर्ड फर्मों/ व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिये जो वास्तव में संबंधित व्यवसाय कर रहे हों तथा संबंधित व्यवसाय का अनुभव रखते हों। किसी विभाग अथवा किसी संस्थान से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र जो कम से कम 3 वर्ष का हो संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्य कराने वाले अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
4. यदि निविदाकार ऐसी शर्त आरोपित करता है जो कि निविदा की शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है तो उसकी किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं माना जावेगा तथा ऐसी सशर्त निविदा अथवा निविदा शर्तों के विपरित निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
5. निविदा पत्र स्याही से या टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएंगी। इसमें कोई त्रुटियाँ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ हो तो दिनांक सहित

R

- उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। दरों में कांट छांट होने पर उपापन समिति द्वारा दिया गया निर्णय फर्म को मान्य होगा।
7. निविदादाता के संबंध में यह समझा जावेगा कि उसने किये जाने वाले कार्य/प्रदाय किये जाने वाले सामान संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तों आदि का अध्ययन कर लिया है। यदि इसमें कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संस्थान के प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
 8. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा। निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि रु. 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रुपये) नकद अथवा डी. डी. (महा निदेशक, इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में) संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
 9. बोली प्रतिभूति राशि को निम्न लिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:-
 - (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है।
 - (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
 - (3) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
 - (4) जब निविदादाता निहित समय के भीतर कार्य आदेश/कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने/कार्य करने में असफल रहता हो।
 10. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में एक हजार रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों/कार्यों के लिये निविदाएँ स्वीकार की गईं उनके अनुमानित मूल्य में 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। निविदा के समय जमा कराई गई ब्याना राशि/अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रतिभूति राशि केवल नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।
 11. कार्य संतोषप्रद होने की दशा में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध की अवधि घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
 12. विवाद की स्थिति में महानिदेशक संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
 13. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को किसी भी समय बिना कारण बताये बिना किसी पूर्व नोटिस के निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 14. उपरोक्त शर्तों की पालना संविदाकर्ता फर्म द्वारा की जावेगी। यदि एक शर्त या अनेक शर्तों का उल्लंघन संविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जाता है तो संविदा निरस्त की जा कर संस्थान में जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

k

15. बोली प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:-

- (1) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हों
- (2) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई/कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

बोली प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

16. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। जिसकी फोटोप्रति संस्थान द्वारा निविदादाता को निशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
17. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (आउट स्टेण्डिंग ड्यूज) नहीं है, प्रतिभूति राशि को संविदा समाप्ति के दो माह उपरान्त प्रतिदाय किया जायेगा।
18. जो निविदाये विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जाएगी उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा जो निविदाये विहित तारीख एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
19. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या उस निविदा के किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।
20. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्थान या संविदाकार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
21. निविदादाता को निविदा एवं संविदा की शर्तों के किसी भाग, के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संस्थान से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
22. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान केवल संतुष्टिपूर्ण कार्य संपादन के बाद बैंक द्वारा ही किया जायेगा।

विशेष शर्तें

23. दरों में सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिये। फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलो मीटर की गणना तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी उपरोक्तानुसार अंतिम स्थल तक की ही गणना हेतु गैरेज से आने जाने हेतु फर्म को अधिकतम कुल 15 कि०मी० (आने व जाने हेतु) स्वीकार्य होंगे।
24. फर्म द्वारा वाहन के साथ भेजे जाने वाले चालको के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी मय फोटों संस्थान को उपलब्ध करानी होगी तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी।
25. वाहन 24 घण्टें में कभी भी मांगा जा सकता है। फोन/मोबाईल बन्द होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर चाहा गया वाहन तत्काल संस्थान द्वारा अन्य एजेन्सी से मंगवाकर कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा इस प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा उसका भुगतान अनुबंधित एजेन्सी से वसूल किया जावेगा।
26. डीजल, पेट्रोल ऑयल एवं चालक आदि का व्यय वाहन मालिक को वहन करना

- होगा वाहन चालक को उपयुक्त वर्दी में भेजना होगा ।
27. वाहन की सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर ही भेजना होगा। वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिये।
 28. संस्थान द्वारा उपयोग किए जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
 29. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाते समय ठीक होनी चाहिये अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है और कार्य सम्पादित कराने हेतु अन्य वाहन/वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसका हर्जाना अनुबन्धित एजेन्सी का होगा। साथ ही जो परेशानी संस्थान को उठानी पड़ेगी उसके हर्जाना स्वरूप 100 प्रतिशत तक की राशि की कटौती एजेन्सी के बिल में से करने हेतु संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा।
 30. वाहन दुर्घटना होने पर या चालान आदि होने पर वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
 31. बिना कारण बताये निविदा किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार संस्थान को होगा।
 32. वाहन से संबंधित पंजीयन, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा बीमा (प्रथम पार्टी) वाहन मालिक के नाम होना आवश्यक है इसकी सत्यता के लिये एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।
 33. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालक किसी भी प्रकार का नशा न करें।
 34. वाहन चालक द्वारा अमद्रता व अशिष्टता पूर्ण व्यवहार करने पर संस्थान को शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में महानिदेशक संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।
 35. एजेन्सी अपने कार्यालय का पता, फोन नं. मोबाइल नम्बर निविदा भरने के साथ दें।
 36. जिस अवधि के लिये वाहन किराये पर लिया गया है, इस अवधि की लॉग बुक सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करनी होगी।
 37. वाहन ड्यूटी पर भेजते समय फुल टैंक करके भेजना होगा तथा अतिरिक्त पेट्रोल/डीजल की आवश्यकता हेतु ड्राइवर के पास पर्याप्त राशि होना आवश्यक है।
 38. निविदाकार फर्म के पास स्वयं की फर्म/नाम से कम से कम 5 वाहन होना आवश्यक है।
 39. सप्लाइ किये जाने वाले वाहन मॉडल 2012 व इसके बाद के होने चाहिये तथा उसका आर.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
 40. फर्म का परिवहन विभाग से ट्रेड रजिस्ट्रेशन का अनुमति पत्र होना आवश्यक है तथा एक्साइज विभाग से सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है तथा दोनों ही रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 41. निविदाकार का गत वर्ष का बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार टर्न ओवर पांच लाख से कम का नहीं होना चाहिये।
 42. निविदाकार को गत पाँच वर्षों में कम से कम 3 वर्षों का सरकारी व स्वायत्तशासी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।

k

43. वाहन के ड्यूटी के दौरान लगने वाले पार्किंग चार्ज, टोल टेक्स, बोर्डर/इन्टरस्टेट टेक्स, का भुगतान संस्थान द्वारा निविदाकार द्वारा मूल रसीद देने पर ही दिया जावेगा।
44. जयपुर जिले से बाहर की यात्रा पर ही न्यूनतम 250 कि०मी० प्रति दिवस के चार्ज का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा तथा रात्रि 12 बजे उपरान्त ही रुकने/यात्रा की दशा में नाईट हाल्ट चार्ज 75 रूपये प्रति दिवस अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
45. पेट्रोल/डीजल की दरों में कमी/बढोतरी की दशा में यथानुपात दरों में संशोधन किया जा सकता है।
46. सामान्यतः रविवार/अन्य अवकाश दिवसों में गाडी की आवश्यकता नहीं रहती है किन्तु विशेष कार्य हेतु बुलवाया जा सकता है। इसका अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
47. अनुबन्धित वाहन संख्या व चालक को यथा संभव नहीं बदला जावेगा।
48. लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप पर प्रारम्भिक कि०मी० एवं अंतिम कि०मी० तथा दिनांक व समय पर दोनों स्थान पर वाहन उपयोगकर्ता से हस्ताक्षर करवायेगा तथा उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम व पद अंकित करायेगा।
49. निविदादाता द्वारा बिल में कौट-छौट करने एवं फर्जी बिल प्रस्तुत करने पर बिना पूर्व नोटिस दिए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।


 अतिरिक्त निदेशक

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें ध्यान पूर्वक पढ ली है तथा मैं/हम उक्त समस्त शर्तों से सहमत है तथा मानने हेतु बाध्य है।

हस्ताक्षर
 फर्म का नाम व पता
 फोन नम्बर/मोबाइल नं०

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
तकनीकी निविदा प्रपत्र
विषय :- गाड़ी किराये पर लेने हेतु।

1.
.....
(निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता)
2. निविदा शुल्क की राशि नकद रसीद संख्या एवं दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।
3. हम..... आपके कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक..... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न सीट में उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इसके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित सभी शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)
4. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार बयाना(अर्नेस्ट मनी) रूपये 30,000/- (अक्षरे रूपये तीस हजार मात्र)की नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम, जो महा निदेशक, इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय है, संलग्न है।
5. निविदा दाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की.....
(1) एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम व पता.....
.....
(2) साझेदारी की स्थिति में साझेदार का नाम व पता.....
.....
6. निविदा प्रपत्र एवं अनुसूची दर निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी फर्म में स्थिति :-
7. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति भविष्य में पत्र व्यवहार करें तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसकी फर्म में स्थिति अंकित करें :-
8. फर्म के बैंक खाते का पूर्ण विवरण मय गत एक वर्ष के बैंक स्टेटमेन्ट में पांच लाख टर्न ओवर की प्रति संलग्न की जावे।
9. फर्म के /स्वयं मालिक के नाम से वर्ष 2014 व इसके बाद की 5 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. आर.टी.ओ. से ट्रेड लाइसेन्स का विवरण व प्रति संलग्न करें।
11. उत्पाद कर विभाग से सर्विस टैक्स हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।
12. शॉप एक्ट/बिक्री कर/सहकारी विभाग/आदि से फर्म रजिस्टर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. गत 3 वर्षों के राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था के प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
14. फर्म का दूरभाष संख्या:

निवास:

कार्यालय:

मोबाईल नं०:

निविदादाता के हस्ताक्षर

दर निविदा - 1"

क्र.सं.	विवरण	जयपुर शहर के बाहर के लिये	
		दर प्रति कि.मी.	
		ए.सी.	साधारण
(अ)	संस्थान में संलग्न शर्तों के अनुसार मय चालक एवं पेट्रोल व डीजल के कार किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य (मॉडल 2012 के बाद)	Model 2012 & above	Model 2012 & above
	1 टाटा इंडिका		
	2 टाटा इण्डिगो /लोगान		
	3 टाटा सफारी		
	4 क्वालीस /टवेस		
	5 इनोवा/जायलो		
	6. बस (35 सीटर)		
	7.बस (45 सीटर)		
	8 बस (52 सीटर).		
	9.बस (18 सीटर)		

शर्तें -

- 1 सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग चार्जज. बोर्डर / इन्टरस्टेट टैक्स व चुंगी का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
- 2 रात्रि विश्राम 75/- रुपये की दर से दिया जावेगा।
- 3 जयपुर के बाहर न्यूनतम 250 किलोमीटर की शर्त लागू होगी।जयपुर से बाहर एक यात्रा में कुल दिवसों की संख्या मे प्रतिदिन 250 कि.मी. यात्रा का भुगतान या उससे अधिक चलने पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा। यात्रा के दौरान किसी दिवस को वाहन 250 कि.मी.से कम चलता है तो भी पूरी यात्रा के दिवसों में प्रतिदिन 250 कि.मी. ओसतन का भुगतान किया जावेगा। उदाहरणार्थ किसी यात्रा में पहले दिन वाहन 350 कि.मी.चलता है दूसरे दिन 100 कि.मी. एवं तीसरे दिन 100 कि.मी.तब भी तीन दिवस का भुगतान तीन दिन में $600 \times 3 = 750$ कि.मी. का किया जावेगा।
4. फर्म के गैरेज से संस्थान/निर्दिष्ट स्थान तक आने जाने (दोनों तरफ)का अधिकतम कुल 15 कि०मी० स्वीकार्य होगा।

R

निविदादाता के हस्ताक्षर

दर निविदा - 2
TARIFF FOR LOCAL JAIPUR

Type of Vehicle	4Hrs 40KMs	8Hrs. 100KMs	12Hrs. 150KMs	Extra KMs
Indica Non A.C.				
Indica A.C.				
Indigo-non/A/C/				
Indigo A.C.				
Logan/Indigo LX TDI Non A.C.				
Logan/Indigo LX TDI A.C.				
Tavera Non A.C.				
Tavera A.C.				
Innova/ Non A.C.				
Innova/ A.C.				
Bus 18 Seater Non A.C.				
Bus 18 Seater A.C.				
Bus 35 Seater Non A.C.				
Bus 35 Seater A.C.				
Bus 52 Seater Non A.C.				
Bus 52 Seater A.C.				
Tata Safari A C				
Tata Safari Non A C				

नोट:- गाडी की कि०मी० की गणना फर्म के गैरेज से होगी तथा आने जाने की अधिकतम कि०मी०की सीमा कुल 15 कि०मी० ही मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पता

चैक लिस्ट

1. फर्म / निविदादाता का नाम एवं पता ,वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रति
2. अमानत राशि का विवरण
3. तीन वर्षों की अवधि में स्वायत्तशासी संस्थान /
सरकारी विभाग में संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र
4. एक वर्ष में 5 लाख का टर्न ओवर (बैंक स्टेटमेन्ट)
5. वाहन 2012 व उसके बाद की 5 वाहनों की रजिस्ट्रेशन की प्रति
6. सर्विस टैक्स हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रति

B